न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **62/2016** दायर दिनाँक **28.04.2016**

वादी		प्रतिवादीगण
1. टोडरमल गोदपुत्र गोरधनराम, उम्र–53साल, जाति–जाट, निवासी–खातीड़ा की ढाणी, निमोद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।	बनाम	1. शिवबक्षराम पुत्र बिड़दाराम, 2. हीराराम पुत्र बिड़दाराम, 3. केसराराम पुत्र बिड़दाराम, 4. खेमाराम पुत्र बिड़दाराम, 5. पेफादेवी पुत्री बिड़दाराम, 6. धनाराम पुत्र पेमाराम, 7. रुजाराम पुत्र धनाराम, 8. टासुराम पुत्र हणुताराम, 9. भूराराम पुत्र पेमाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–निमोद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा
बाबत् बन्टवारा,
अन्तर्गत धारा– 53, **R.T.Act.**
व
रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– **136 L.R. Act.**

उपस्थित:–

1. वादी उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **05.06.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्य 01 ता 09 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 145 रकबा 33.14 बीघा शरहद मौजा खतीड़ा की ढाणी में अवस्थित है। नकल सम्वत् 2067–2070 पेश है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 62/2016
दायर दिनाँक 28.04.2016, निर्णय दिनाँक 12.06.2018
टोडरमल बनाम् शिवबक्षराम, वगैरा।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद मौजा खातीड़ा की ढाणी में खसरा नम्बर 145 रकबा 33.14 बीघा में से से नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी अनुसार हिस्सा 1/4 भाग का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान दर्ज वादी के पिताजी का नाम "गोदूराम" के स्थान पर "गोरधन" दुरस्त किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं आने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, नजरीनक्शा, जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खेवट संख्या 42/70 की प्रमाणित प्रतिलिपि, भू–प्रबन्ध विभाग (सैटलमेन्ट) विभाग का पर्चा लगान 93 ग्राम निमोद की छायाप्रति, दस रूपये के स्टाम्प पर गोदनामा की छायाप्रति, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**निमोद** में पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी को सुना गया।

वादी का अनुतोष दावानुसार, वाद डिक्री किया जाने में है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी की इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

मजमें आम में वाद में जानकारी ली गयी। मजमें आम में प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक, वाद वादी स्वीकार किया जाना सामने आया है।

मजमें आम में प्राप्त जानकारी के मुताबिक व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व साक्ष्यों के मद्दे नजर वाद वादी स्वीकार किया जाकर, वादी अनुतोषानुसार दावा डिक्री सादिर किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 62/2016
दायर दिनाँक 28.04.2016, निर्णय दिनाँक 12.06.2018
टोडरमल बनाम् शिवबक्षराम, वगैरा।

–:: <u>आदेश</u> ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **खातीड़ा की ढाणी** में वादग्रस्त भूमि खसरा का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है।

1. खसरा नम्बर 145 रकबा 33.14 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/4 भाग का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

2. खसरा नम्बर 145 रकबा 33.14 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज, वादी के पिता का नाम "**गोदूराम**" के स्थान पर "**गोरधन**" दुरस्त किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–निमोद

सहायक कलक्टर डीडवाना

निर्णय, आज दिनाँक **12.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–निमोद

सहायक कलक्टर डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
–:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::–
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 62 / 2016 दायर दिनाँक 28.04.2016

वादी		प्रतिवादीगण
1. टोडरमल गोदपुत्र गोरधनराम, उम्र–53साल, जाति–जाट, निवासी–खातीड़ा की ढाणी, निमोद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।	बनाम	1. शिवबक्षराम पुत्र बिड़दाराम, 2. हीराराम पुत्र बिड़दाराम, 3. केसराराम पुत्र बिड़दाराम, 4. खेमाराम पुत्र बिड़दाराम, 5. पेफादेवी पुत्री बिड़दाराम, 6. धनाराम पुत्र पेमाराम, 7. रुजाराम पुत्र धनाराम, 8. टासुराम पुत्र हणुताराम, 9. भूराराम पुत्र पेमाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–निमोद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा
बाबत् बन्टवारा,
अन्तर्गत धारा– 53, R.T.Act.
व
रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 136 L.R. Act.

दिनाँक 12.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई उपस्थित वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा खातीड़ा की ढाणी में वादग्रस्त भूमि खसरा का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्रस" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है।

1. खसरा नम्बर 145 रकबा 33.14 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/4 भाग का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

2. खसरा नम्बर 145 रकबा 33.14 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज, वादी के पिता का नाम "गोदूराम" के स्थान पर "गोरधन" दुरस्त किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.............
.......–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के
आज की तारीख **12.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–निमोद

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–निमोद

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः—62—2016 / रीडर / 2018 / दिनाँक 12.06.2018

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा
बाबत् बन्टवारा,
अन्तर्गत धारा— 53, R.T.Act.
व
रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा— 136 L.R. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. टोडरमल गोदपुत्र गोरधनराम, उम्र—53साल, जाति—जाट, निवासी—खातीड़ा की ढाणी, निमोद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।	बनाम	1. शिवबक्षाराम पुत्र बिड़दाराम, जाति—जाट, निवासी—निमोद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—निमोद

Scanned by CamScanner